

[Part II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : अक्टूबर 14, 2000/आश्विन 22, 1922

3013

(iv) Lower Division Clerk in the Central Government with eight years regular service in the grade and having experience in handling the Stores and Accounts work.”;

(b) against the post of Wash Boy appearing against serial number 9, in column 8, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“(i) 8th Standard pass from a recognised School; and

(ii) One year experience as Wash Boy.

Note.—Experience is relaxable at the discretion of the Central Government in case the candidate is otherwise well qualified.”.

[File No. A-32017/2/98-Admn. II (LD)]

SURENDER KUMAR, Under Secy.

**Foot note.**—The principal rules were notified *vide* number G.S.R. 194, dated the 18th June, 1999 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 333, dated the 6th October, 1999.

### गृह मंत्रालय

(भारत के महाराजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2000

सा.का.नि. 395.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महाराजिस्ट्रार का कार्यालय (वरिष्ठ ड्राईंग सहायक) भर्ती नियम, 1983 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महाराजिस्ट्रार का कार्यालय साथ ही राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में वरिष्ठ ड्राईंग सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का नाम भारत के महाराजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय (वरिष्ठ ड्राईंग सहायक) भर्ती नियम, 2000 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपादान अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का सात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	अनुसूची वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन गुणावगुण या चयन-सह-वरिष्ठता या अचयन पद के अनुसार है
1	2	3	4	5
वरिष्ठ ड्राइंग सहायक	06 *(2000)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसंचिकीय संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।	6500-200-10500 रुपये	चयन-सह-वरिष्ठता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
---	---	--

6	7	8
30 वर्षों से अनधिक	नहीं	अनिवार्य :
टिप्पणी 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को पांच वर्षों की छूट दी जा सकती है।		1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से भूगोल विषय सहित स्नातक की डिग्री।

टिप्पणी 2 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी, (অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, মণিপুর, নাগালেঁড়, ত্রিপুরা, সিকিম, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য কা লদ্ধাখ ক্ষেত্র, হিমাচল প্রদেশ কে লাহৌল এবং স্পীতি জিলা ও চম্বা জিলে কা পাংগী সব ডি঵ীজন, অণ্ডমান এবং নিকোবার দ্বীপসমূহ যা লক্ষ্মীপুর কে লিএ নির্ধারিত অন্তिम তারीখ কो ছোড়কর)

टिप्पणी 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में उस दशा में शिथिल की जा सकती है/हैं जबकि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि इनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

बांधनीय : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा समकक्ष से ललित कला अथवा व्यवसायिक कला में डिप्लोमा अथवा डेस्क टाप पब्लिशिंग या आटोकेड में तीन वर्ष का अनुभव।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
--	-------------------------------	--

9	10	11
नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	प्रोन्ति, प्रोन्ति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (आई एस टी सी) इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
प्रोन्ति/प्रतिनियुक्ति/विलय द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्ति/प्रतिनियुक्ति/विलय किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्ति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
<b>प्रोन्ति :</b> इस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले वरिष्ठ नक्शा नवीस। <b>टिप्पणी :</b> —ऐसे मामले में जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्ति पर विचार किया जाता है जिन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा को पूरा कर लिया है तो उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि से आधी से कम न हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा पूरी करने वाले अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों सहित अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्ति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण की हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्ति समिति (प्रोन्ति/स्थायीकरण पर विचार के लिए) : (1) भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष सेवा आयोग से परामर्श करना (2) भारत के संयुक्त —सदस्य महारजिस्ट्रार भर्ती करने और प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना	
<b>प्रतिनियुक्ति (आई एस टी सी) :</b> केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध सरकारी/स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो ; अथवा (ii) जिन्होंने 5500-9000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पद में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ; और (ख) कालम 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। (फोडर प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्ति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर कार्यत व्यक्ति भी प्रेन्टि द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (अल्पकालिक संविदा सहित) आवदेनपत्र प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		

 MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 4th October, 2000

**G.S.R. 395.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India (Senior Drawing Assistant) Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Drawing Assistant in the Office of the Registrar General, India, as well as the offices of the Directorates of Census Operations in the States and the Union Territories, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the offices of the Directorates of Census Operations in States and Union Territories (Senior Drawing Assistant) Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and educational qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 14 of the schedule aforesaid.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDEULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or Non-selection-post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Drawing Assistant	06* (2000) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 6500- 200-10500	Selection-cum-seniority	Not exceeding 30 years. Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the Age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidaters in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,

(6)

200

Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

No

**ESSENTIAL :**

- Bachelor's Degree with Geography as a subject from a recognised University or equivalent.
- Two years' experience in drawing of maps or cartographic work.

No

2 years for direct recruits.

Promotion failing which by deputation (ISTC) failing both by direct recruitment.

**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

**DESIRABLE :**

Diploma in Fine Art or Commercial Art from a recognised Institute or equivalent, or Three years' experience in Desk Top Publishing or Autocad.

In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

12

13

14

**PROMOTION :**

Senior Draughtsman with three years' regular service in the grade

**Note :**—Where junior who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying eligibility or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

**DEPUTATION (ISTC) :**

Officers under the Central/State Governments/UTs/ Universities/Recognised research Institutions/ Public sector undertakings/Semi-Government/Autonomous or Statutory organisations :—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with three years regular service in posts in the scale of Rs. 5500—9000 or equivalent; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation/contract. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

Group 'B' Departmental Promotion Committee, (for considering promotion/confirmation) :

1. Registrar General, India—Chairman
2. Joint Registrar General, India—Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an Officer on deputation (ISTC)

अ. बेतन के अतिरिक्त 3000 रुपये (तीन हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिप्रक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[सं. के. 11017/1/2002-यू.एस.-I/II]

दुर्गदास गुप्ता, संयुक्त सचिव

New Delhi the 13th January, 2003

**G.S.R. 40.**—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

That Shri Justice Binod Kumar Roy, Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, who has been transferred from the Allahabad High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 3000/- (Rupees three thousand) per month, for the period of his service as Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court.

[No. K.11017/1/2002-US-I/II]

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई फ़िल्ही, 15 जनवरी, 2003

**सा.का.नि. 41.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति में का प्रयोग करते हुए भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय (वरिष्ठ ड्राइंग सहायक) भर्ती नियम, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय (वरिष्ठ ड्राइंग सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 होगा।  
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय (वरिष्ठ ड्राइंग सहायक) भर्ती नियम, 2000 से संबंधित अनुसूची के कालम 3 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रते स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह ‘ख’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय”।

[फ. सं. ए. 12032/12/99-प्रशा. II]

डी. एस. सैनी, अवर सचिव

टिप्पणी :—भारत के राजपत्र में मृ. नियम दिनांक 4 अक्टूबर, 2000 को जी. एस.आर. 395 के माध्यम से प्रकाशित हुए थे।

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 15th January, 2003

**G.S.R. 41.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India and the offices of the Directorates of Census Operations in States and Union Territories (Senior Drawing Assistant) Recruitment Rules, 2000 namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India and the offices of the Directorates of Census Operations in States and Union Territories (Senior Drawing Assistant) Recruitment (Amendment) Rules, 2003.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Office of the Registrar General, India and the offices of the Directorates of Census Operations in States and Union Territories (Senior Drawing Assistant) Recruitment Rules, 2000, in column (3), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

“General Central Service, Group ‘B’ Non-Gazetted, Non-Ministerial”.

[F.No. A-12032/12/99-Ad. II]

D. S. SAINI, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 395 dated the 4th October, 2000.

